न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 158 सन 2022

अनवान :–

1. कानाराम वल्द नोदरसिह जाति बाल्मिकी निवासी सुरतगढ हाल नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. अजय पुत्र नोदरसिह जाति बाल्मिकी निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सुमनरानी पुत्री नोदरसिह जाति बाल्मिकी निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

तरतीयी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/03/2022.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 86/83 के खसरा न0 123/1 की 2.4530हैक मे से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगसिह पुत्र धीसाराम के नाम सें दर्ज है।

नोरगराम पुत्र धीसाराम का सही नाम नोदरसिह पुत्र धीसाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में नोरगराम दर्ज हुआ है वादी के पिता का सही नाम नोदरसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात मे दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी अपने पिता का नाम नोरगराम के स्थान पर नोदरराम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगराम पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है नोदरसिह पुत्र धीसाराम एव उसकी पत्नी शारदा देवी पत्नी नोदरसिह का भी देहान्त हो चुका है नोदरसिह पुत्र धीसाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है इसलिये नोदरसिह पुत्र धीसाराम के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उनके पिता का नाम नोरगराम के स्थान पर नोदरसिह करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की नोदरसिह वल्द धीसाराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर अपने पिता का नाम नोरगराम के स्थान पर नोदरसिह संशोन करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2, 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उनके पिता का नाम नोरगराम पुत्र धीसाराम दर्ज किया गया है जो गलत है वादी के पिता का सही नाम नोदरसिह है व सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है तथा वादी के पिता नोदरसिह एव वादी की माता शारदा देवी पत्नी नोदरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है जो अपने पिता नोदरसिह पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 86/83 के खसरा न0 123/1 की 2.4530हैक मे से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगरिह पुत्र धीसाराम के नाम सें दर्ज है।

नोरगराम पुत्र धीसाराम का सही नाम नोदरसिह पुत्र धीसाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में नोरगराम दर्ज हुआ है वादी के पिता का सही नाम नोदररिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी अपने पिता का नाम नोरगराम के स्थान पर नोदरराम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगराम पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है नोदरसिह पुत्र धीसाराम एव उसकी पत्नी शारदा देवी पत्नी नोदरसिह का भी देहान्त हो चुका है नोदरसिह पुत्र धीसाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है इसलिये नोदरसिह पुत्र धीसाराम के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 86/83 के खसरा न0 123/1 की 2.4530हैक मे से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगरिह पुत्र धीसाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि में उनके पिता का नाम नोरगराम पुत्र धीसाराम दर्ज किया गया है जो गलत है वादी के पिता का सही नाम नोदरसिह है व सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है तथा वादी के पिता नोदरसिह एव वादी की माता शारदा देवी पत्नी नोदरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है जो अपने पिता नोदरसिह पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के द्वारा अपने कथनो के समर्थन में प्रस्तुत किये गये अपने पिता का मृत्यू प्रमाण पत्र , जन्म प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र मुल निवास प्रमाण पत्र आदि से प्रतीत होता है कि वादी के पिता का सही नाम नोदरसिह है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने इकबाल भी पेश किया जा चुका है

वादी ने अपने कथनो के समर्थन में अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिससे वादी के कथनो की पुष्टि होती है तथा नोदरसिह के वारिसान के समर्थन में किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात नोदरसिह उर्फ नोरगराम के देहान्त होने पर उनके

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वारिसान नोरगराम उर्फ नोदरसिह के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने इकबाल भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ,2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 86/83 के खसरा न0 123/1 की 2.4530हैक मे से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगसिह पुत्र धीसाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी के पिता का नाम नोरगराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर नोरगराम उर्फ नोदरसिह पुत्र घीसाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कानाराम वल्द नोदरसिह जाति बाल्मिकी निवासी सुरतगढ हाल नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. अजय पुत्र नोदरसिह जाति बाल्मिकी निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सुमनरानी पुत्री नोदरसिह जाति बाल्मिकी निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 158 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 86/83 के खसरा न0 123/1 की 2.4530हैक मे से 1/8 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगसिह पुत्र धीसाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी के पिता का नाम नोरगराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर नोरगराम उर्फ नोदरसिह पुत्र घीसाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner